Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 9, June-2019, ISSN 2230-7540

आपराधिक न्याय प्रणाली एवं पीड़ित का महत्व

Pushplata Patel[1]* N. K. Thapak[2]

[1] Research Scholar, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh

[2] Professor, Department of Law, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh

सार – *शोधकर्ता मानवीय दृष्टिकोण के साथ मिलकर आपराधिक न्याय प्रणाली पर उपलब्ध क़ानून, विधायी और नियामक ढांचे का व्यापक सर्वेक्षण करना चाहता हैं। इस शोध के लिए शोधकर्ता केंद्रीय बिंदु पीड़ित पर विचार करने के साथ-साथ मानवीय अधिकार के दृष्टिकोण पर बोध करना चाहता है। इसके अलावा शोधकर्ता भरोसा कर रहे हैं कि पाठ्य सामग्री क़ानून, न्यायिक विधि आयोग की रिपोर्ट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की रिपोर्टों पर लेख विश्वकोश आदि इस शोध का आधार बनें। यहाँ शोधकर्ता कुछ पाठ्य पुस्तक और मल्लीमठ समिति की संक्षिप्त समीक्षा देते हैं। समिति की रिपोर्ट शोधकर्ता के शोध कार्य को औ बढ़ाने में सहायक होगी। आपराधिक न्यायप्रणाली के सुधार पर न्यायमूर्ति वी-,समलीमथ समिति, खंड 1 मध्यप्रदेश (मार्च 2003)- इस रिपोर्ट को मलिमथ समिति रिपोर्ट भी कहा जाता है, 4 इस रिपोर्ट में समिति के विभिन्न सदस्यों ने आपराधिक व्यवस्था प्रणाली के सुधारों पर सुझाव देने की कोशिश की और आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया समिति आपराधिक न्यायप्रणाली में पीड़ित की भूमिका पर भी ध्यान देती है और पीड़ित की स्थिति में सुधार करने के लि, प्रभावी उपाय देती है। शोधकर्ता इस रिपोर्ट के साथ सहमत हैं क्योंकि पीड़ित के साथ-साथ अपराध कोभी गम्भीरता से लिया गया, साथ ही समिति व्दारा प्रणाली की खामियों पर विश्लेषण भी बड़े तरीके से किया गया है।*

----------X----------

परिचय

भारत का संविधान विष्व का सर्वोच्चतम कानून है, जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। अपराध के शिकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में कई प्रावधान हैं, जो पीड़ित क्षतिपूर्ति के सिध्दांत का समर्थन करते हैं, जीवन और स्वतंत्रता के संसार में अनुचित 11 अभावों के खिलाफ गारंटी, आपराधिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लि, राज्य को बाध्य करता है।

संवैधानिक कानून कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी की सुरक्षा की गारंटी देता है।अपने नागरिकों को होने वाली आपराधिक परेषानियों के लिए कानूनी दायित्व को स्वीकार करने वाले राज्य का सिध्दांत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, राज्यों के दायित्व को स्वीकार करता है। यह सार्वजनिक हित में भी है क्योंकि यह आपराधिक न्यायप्रणाली को मजबूत करता है और राज्य के नीति के सिध्दांतों के अनुसार जनकल्याण को बढ़ावा देता है।

कोई भी अपराध का शिकार होने या अपराध का गवाह बनने की उम्मीद नहीं करता है लेकिन ऐसा होता है, हर साल कई नागरिक अपराधों का शिकार होते हैं। एक अपराधिक मामले के बारे में पीड़ितों या गवाहों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीड़ितों और गवाहों की मदद के बिना किसी भी अपराध को हल नहीं किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों की भागीदारी दूसरों को पीड़ित होने से रोक सकती है। आपराधिक न्याय प्रणाली अपराध पीड़ितों पर निर्भर करती है कि वे आगे आएं, अपने अपराधों की रिपोर्ट करें और अपराधियों को पकड़ने के लिए सहयोग करें। पीड़ितों के सहयोग और गवाह के बिना आपराधिक न्याय प्रणाली कार्य करना बंद कर देगी, फिर भी कुछ अपवादों के साथ इन व्यक्तियों को या तो आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा अनदेखा किया जाता है या अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली कानून और व्यवस्था बनाए रखने मे और समाज को संतुष्ट करने में विफल रही है। इसकी आंशिक असफलता का एक मुख्य कारण अभियुक्तों के बचाव के अधिकार पर अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप है, जो कि मध्य प्रदेश के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22

www.ignited.in

के तहत उसका संवैधानिक अधिकार है। मध्य प्रदेश के दण्डात्मक कानूनों के तहत, अपराध के लिए मुकदमे की प्रक्रिया में, अभियुक्त पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि वह सभी संबंधितों से आग्रह के साथ आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने का पूरा अवसर दे। अदालत की मौजूदा प्रक्रिया में पीड़ित और गवाहों के अधिकार और गवाहों की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है, जिनके साक्ष्य पर मुकदमे की प्रभावशीलता और अदालत का फैसला निर्भर करता है।

पीड़ित के अधिकार के प्रति उदासीनता और परीक्षण के दौरान उसे बहुत कम या कोई भागीदारी नहीं दी गई है, जो मजबूरी के तहत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले गवाहों की लगातार घटना के साथ युग्मित होता है, उदा. के लिये धमकियाँ, ज़बरदस्ती या खरीद-फरोख्त न्याय के मार्ग को अशुद्ध कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोषी बरी हो जाते हैं। इस प्रकार पीड़ितों को उसके खिलाफ किए गए अपराध के तहत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अपराधी के अधिकार और पीड़ितों के बीच असंतुलन को अपराधी की ओर बहुत अधिक स्थानांतरित कर दिया जाता है जबकि इसे दूसरे तरीके से होना चाहिए था। यहां अव्यवस्था का शिकार हारने वाला होता है।

कोलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार

पीड़ित 'का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी प्रतिकूल कार्य या परिस्थिति आदि से हानि या मृत्यु आदि को सहन करता है।

वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार पीड़ित का अर्थ हैः-

"किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा मृत्यु कारित कर देना या घायल कर दिया जाना, जो किसी देवता को या धार्मिक संस्कार के प्रदर्शन में किसी प्राणी की बलि दिया जाना"।

अपराध के पीड़ितों के लिए न्याय एवं मानव अधिकारों की आवश्यकता

राज्य का कानूनी कर्तव्य है कि वे प्रभावी घरेलू उपाय प्रदान करने और जांच करने, मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, मानवाधिकारों और उनके विशिष्ट कर्तव्यों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करें। जैसा कि कोई व्यापक कानूनी प्रावधान नहीं है, यह सही है लेकिन कई स्रोतों से सूचित किया जा सकता है।

भारत का संविधान विष्व का सर्वोच्चतम कानून है, जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। अपराध के शिकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में कई प्रावधान हैं, जो पीड़ित क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण में अनुचित 11 अभावों के खिलाफ गारंटी, आपराधिक हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य को बाध्य करता है। संवैधानिक कानून कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी की सुरक्षा की गारंटी देता है।अपने नागरिकों को होने वाली आपराधिक परेषानियों के लिए कानूनी दायित्व को स्वीकार करने वाले राज्य का सिद्धांत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राज्यों के दायित्व को स्वीकार करता है। यह सार्वजनिक हित में भी है क्योंकि यह आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करता है और राज्य के नीति के सिद्धांतों के अनुसार जनकल्याण को बढ़ावा देता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित का महत्व

कोई भी अपराध का शिकार होने या अपराध का गवाह बनने की उम्मीद नहीं करता है लेकिन ऐसा होता है, हर साल कई नागरिक अपराधों का शिकार होते हैं। एक अपराधिक मामले के बारे में पीड़ितों या गवाहों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीड़ितों और गवाहों की मदद के बिना किसी भी अपराध को हल नहीं किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी है ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों की भागीदारी दूसरों को पीड़ित होने से रोक सकती है। आपराधिक न्याय प्रणाली अपराध पीड़ितों पर निर्भर करती है कि वे आगे आएं, अपने अपराधों की रिपोर्ट करें और अपराधियों को पकड़ने के लिए सहयोग करें। पीड़ितों के सहयोग और गवाह के बिना आपराधिक न्याय प्रणाली कार्य करना बंद कर देगी, फिर भी कुछ अपवादों के साथ इन व्यक्तियों को या तो आपराधिक न्याय प्रणाली द्वारा अनदेखा किया जाता है या अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली कानून और व्यवस्था बनाए रखने मे और समाज को संतुष्ट करने में विफल रही है। इसकी आंशिक असफलता का एक मुख्य कारण अभियुक्तों के बचाव के अधिकार पर अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप है, जो कि मध्य प्रदेश के संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत उसका संवैधानिक अधिकार है। मध्य प्रदेश के दण्डात्मक कानूनों के तहत, अपराध के लिए मुकदमे की प्रक्रिया में, अभियुक्त पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि वह सभी संबंधितों से आग्रह के साथ आरोप के खिलाफ खुद का

www.ignited.in

बचाव करने का पूरा अवसर दे। अदालत की मौजूदा प्रक्रिया में पीड़ित और गवाहों के अधिकार और गवाहों की ओर शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है, जिनके साक्ष्य पर मुकदमे की प्रभावशीलता और अदालत का फैसला निर्भर करता है।

पीड़ित के अधिकार के प्रति उदासीनता और परीक्षण के दौरान उसे बहुत कम या कोई भागीदारी नहीं दी गई है, जो मजबूरी के तहत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले गवाहों की लगातार घटना के साथ युग्मित होता है, उदा. के लिये धमकियाँ, ज़बरदस्ती या खरीद-फरोख्त न्याय के मार्ग को अशुद्ध कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोषी बरी हो जाते हैं। इस प्रकार पीड़ितों को उसके खिलाफ किए गए अपराध के तहत शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अपराधी के अधिकार और पीड़ितों के बीच असंतुलन को अपराधी की ओर बहुत अधिक स्थानांतरित कर दिया जाता है जबकि इसे दूसरे तरीके से होना चाहिए था। यहां अव्यवस्था का शिकार हारने वाला होता है।

सर्वोच्च न्यायालय एवं पीड़ित

5 फरवरी, 1989 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ, जो कि तत्कालीन चीफ जस्टिस आरएस पाठक की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ थी, जिसमें तीन कारणों से एक क्रिप्टोकरेंसी थी, जिसमें आपदा से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियां शामिल थीं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए आंकड़ों के द्रव्यमान पर कोई चर्चा किए बिना और पक्षों द्वारा दायर व्यापक दलीलें सुने बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अचानक अवलोकन के साथ मामले को बंद कर दिया और कहा कि हम इस राय के हैं कि मामला पूर्व के लिए उपयुक्त है समग्र निपटान सभी पक्षों के दावों, अधिकारों और देनदारियों को पूर्ण करने से संबंधित हो सकता है और आपदा से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिये "सुप्रीम कोर्ट ने 470 मिलियन की निपटान राशि को" न्यायसंगत और उचित पाया।

मांगीलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य

इस मामले में, सात अन्य लोगों के साथ अपीलकर्ता को राजिंदर कुमार की मौत के कारण मुकदमे का सामना करना पड़ा और दूसरे व्यक्ति को चोट लगी। ट्रायल कोर्ट ने मृतक और घायल व्यक्ति के वारिसों को किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश नहीं दिया। इसे उच्च न्यायालय ने उचित नहीं माना और इसलिए उनमें से प्रत्येक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) और 357 (4) के अनुसार मुआवजे के रूप में 30000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राशि का 2/3 हिस्सा मृतक के वारिसों को दिया जाए और शेष 1/3 घायलों को दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि धारा 357 के तहत पीड़ितों को मुआवजा देने की शक्ति किसी अन्य शक्ति के लिए सहायक नहीं थी। उपधारा 357 (1) और 357 (3) के बीच मौजूद अंतर यह है कि धारा 357 (3), जुर्माना लगाने की अनुपस्थिति में धारा 357 (1) के विपरीत मुआवजे के प्रत्यक्ष भुगतान के लिए अदालत को अधिकार देता है।

बिपिन बिहारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य

तथ्यः इस प्रकार हैं- जब शिकायतकर्ता अपने बैल को खेत में चरा रहा था जब शिकायतकर्ता अपनी भाभी के रोने की आवाज सुनकर भाभी के पास गया, तो उसने पाया कि उसकी भाभी फसल के बीच लेटी थी और एक व्यक्ति उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। उस व्यक्ति के पास एक बंदूक थी और उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। धमकी को अस्वीकार करते हुए, जब शिकायतकर्ता ने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, तो हाथापाई में उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को मारने की धमकी दी। इसके बाद, जब उसने एक गोली चलाई, तो यह शिकायतकर्ता के दाहिने बाँह पर लगी और मौके से मांस को चीर दिया।

इसके अलावा, उस व्यक्ति ने बंदूक को फिर से लोड करने की कोशिश की लेकिन असमर्थ रहा क्योंकि शिकायतकर्ता उसके साथ जूझ रहा था। इस दौरान, जब उस व्यक्ति ने देखा कि कुछ लोग मौके पर पहुंचे हैं, तो वह बंदूक पीछे छोड़कर वहां से भाग गया। ट्रायल कोर्ट ने जो उस व्यक्ति को धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया, और निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को धारा 357, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत मुआवजे के रूप में 5000 रुपये का जुर्माना देना चाहिए।

जब मामला उच्च न्यायालय में अपील में आया, तो उसने कहा कि अपीलकर्ता पर आजीवन कारावास की सजा को अनुचित ठहराया गया था और कहा गया था कि दो साल के सश्रम कारावास की सजा देना उचित होगा। क्षतिपूर्ति देने के मुद्दे पर, भास्कर बनाम संकरण वैद्य बालन को अदालत ने संदर्भित किया, जहां शीर्ष अदालत ने धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के दायरे पर विचार करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट उक्त धारा के तहत मुआवजा देते हुए अपनी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। 357 (3), चूंकि यह प्रावधान किसी सीमा के अधीन नहीं था और इस तरह मजिस्ट्रेट किसी भी मुआवजे की राशि देने के लिए प्रावधान

का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यह भी आयोजित किया गया था कि मुआवजे की राशि तय करते समय मुआवजे की राशि की देयता भी होनी चाहिए इस पर विचार किया जाए।

मध्यप्रदेश में पीड़ितों से संबंधित उपबंध (योजना, 2015 क्र.1686-2015-दो-सी)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357-क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

योजना

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(क) इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 है.

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(ग) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी.

साहित्य की समीक्षा

विष्णु और याज्ञवल्क्य (2013) के कानून में अपराध के शिकार को चोट के लिए मुआवजा भी प्रदान किया गया था। प्राचीन कानूनों के अनुसार याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति मुआवजे की राशि प्रदान करते थे। खरीद का पैसा दोगुना करते थे और ऐसे मामलों में समान राशि का जुर्माना करते थे जब सामानों की बिक्री धोखाधड़ी से की जाती थी या लोग जानबूझकर और जानबूझकर इस दोष का खुलासा नहीं करते हैं। जैसा कि वैदिक काल के दौरान मनुस्मृति और कुछ अन्य स्मित्रिट में प्रदान किया गया था, 'वर्ण' न्याय के प्रशासन का आधार था और उसी के अनुसार सजा को बढ़ाया जाता था। अपराध का अनुकूलन वर्ग और पीड़ित की स्थिति और अपराध करने वाले व्यक्ति के संबंध में किया गया था।

मेंदरलोसन (2012) 2010 में अपने प्रसिद्ध कोलेजिया भाषण के दौरान मेंदरलोसन द्वारा सामान्य पीड़ित विज्ञान की रूपरेखा प्रदान की गई थी। उनकी राय में पीड़ित विज्ञान का ध्यान सभी प्रकार के पीड़ितों, उनके दुख और उपचार पर होना चाहिए। बाद में अवधारणा का एक विस्तृत संस्करण फ्रेंच में प्रकाशित किया गया था। आरेखीय रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए, सामान्य पीडित विज्ञान को एक सर्कल द्वारा प्रतीक किया गया था जो एक और सर्कल से अलग और स्वतंत्र था जो अपराध विज्ञान का प्रतीक था।

नार्मन विजय (2015) से पहले इंग्लैंड में एक बहुत विकेन्द्री कृत कानूनी प्रणाली थी। इस अवधि के दौरान समाज ने अपराधों को हम्मुराबी की शिक्षाओं के विपरीत व्यक्तिगत गलतियों के रूप में देखा। जब कोई अपराध किया जाता था, तो पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा मिला था। मध्य युग के अंत तक आम तौर पर यह माना जाता था कि व्यक्तिगत बदला न तो उचित था और न ही पर्याप्त था और एक घायल पार्टी को व्यवस्थित रूप में नागरिक कानून के माध्यम से सहारा लेना चाहिए।

हेटिंग (2013) 1948 में क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम वान हेटिंग ने "कर्ता" या अपराधी और "पीड़ित" या पीड़ित के बीच संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अपराध पीड़ितों के व्यक्तित्व और सामुदायिक वातावरण के आधार पर वे विशेषताएँ, जो वास्तव में उनके शिकार में योगदान दे सकती हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और जैविक कारकों के आधार पर पीड़ितों की एक टायपोलॉजी भी स्थापित की उन्होनें विभिन्न जोखिम कारकों की जांच करके उन्होनें विभिन्न जोखिम पीड़ितों के तीन व्यापक वर्गों की स्थापना की।

द यंग: (2013) उन्होंने सुझाव दिया कि वे आम तौर पर लाभ के लिए अपराध के शिकार नहीं होते हैं लेकिन हमले के शिकार होने का खतरा होता है क्योंकि वे ज्यादातर कमजोर होते हैं। हालांकि उन्हें लाभ के लिए अपहरण किया जा सकता है या अपराधियों द्वारा संपत्ति के खिलाफ अपराध करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कई देशों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून लागू हैं। महिला: चूंकि कानून के कई नियम एक कमजोर (महिला) और मजबूत (पुरुष) सेक्स के कानूनी कल्पना को मूर्त रूप देते हैं, इसलिए महिला सेक्स को कानून द्वारा कमजोरी के एक अन्य रूप में मान्यता दी जाती है। पुरानी: पुरानी पीढ़ी को कमजोर माना जाता है क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और संचित धन रखते हैं।

www.ignited.in

द डिप्रेस्ड: (2012) चूँकि एक उदास व्यक्ति का रवैया दयनीय और विनम्र होता है और व्यक्ति के पास कोई लड़ने के गुण नहीं होते हैं और व्यक्ति का मानसिक प्रतिरोध कम हो जाता है, वह पीड़ित के लिए खुला हो जाता है। अधिग्रहण योग्य: ऐसे पीड़ितों के मामले में लाभ की तीव्र इच्छा के कारण बुद्धिमत्ता, व्यवसाय का अनुभव और आंतरिक बाधाएं होती हैं। उन्होंने जिस तरह से आपराधिक सिंडिकेट, रैकेटियर, जुआरी, आत्मविश्वास से भरे पुरुषों और अन्य लोगों से पीड़ितों के धन की आवश्यकता का शोषण करने पर चर्चा की।

जीमँदजवद: (2016) अक्सर एक कामुक या प्रचंड स्वभाव को अन्य समवर्ती कारकों को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। अकेलापन, शराब और कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं इस प्रकार के पीड़ित के "प्रोसेस एक्सेलेरेटर"। इस तरह के व्यक्तियों को कानूनों के सामान्यीकरण और सामाजिक सम्मेलनों द्वारा अस्पष्ट होने के कारण मंद कर दिया जाता है।

द लोन्सोम और हार्टब्रोकन: (2013) अकेलापन महत्वपूर्ण मानसिक सुविधाओं को कमजोर करने का कारण बनता है और ऐसे व्यक्ति अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। इसी तरह दिल टूटने वाले पीड़ित अपने नुकसान से घबरा जाते हैं और इसलिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।

द टोरिमेंटर (2015) उन्होंने पारिवारिक त्रासदियों में होने वाली पीड़ाओं को वर्णित किया। इस तरह के शिकार अपराधी बन जाते हैं। इस तरह के शिकार का उदाहरण एक मानसिक पिता हो सकता है जो अपनी पत्नी और बच्चों का दुरुपयोग कर सकता है जब तक कि बच्चों में से एक बड़ा नहीं होता है और उकसाने पर उसे मारता है। अवरुद्ध, छूट और लड़ाई: यह अपराधी के दृष्टिकोण से एक अक्षमता का एक स्वयं का रूप है और एक पीड़ित के लिए एक आदर्श स्थिति है। इस प्रकार का एक उदाहरण होगा किसी को ब्लैकमेल किया जाना और फिर पुलिस की सहायता लेने में असमर्थ होना।

शेफर (2012) ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित की कार्यात्मक भूमिका दूसरों को उसे घायल करने के प्रयास से रोकने के लिए कुछ भी नहीं करना है और साथ ही साथ ऐसे प्रयासों को सक्रिय रूप से रोकने के लिए है। दूसरे शब्दों में यह शिकार की कार्यात्मक जिम्मेदारी है ैपीड़ितों को श्रेणीबद्ध करने वाले शेफ़र द्वारा बनाए गए समूह हेंटिग द्वारा बनाए गए कई विचार भिन्नता में हैं। दो वर्गीकरण के बीच का अंतर मुख्य रूप से पीड़ित की अक्षमता पर आधारित है। जबकि हेंटिग अलग-अलग जोखिम वाले कारकों की पहचान करता है, वहीं शेफर अलग-अलग पीड़ितों की जिम्मेदारी तय करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए शिकार विज्ञान का आयात काफी हद तक विद्वान स्टीफन शेफर के काम के कारण था, जिनकी पुस्तक द विक्टिम एंड हिज क्रिमिनलः ए स्टडी इन फंक्शनल रिस्पांसिबिलिटी (2012) अपराध पीड़ितों और उनके अध्ययन में रुचि रखने वाले किसी के लिए पढ़ना अनिवार्य हो गया था।

निष्कर्ष

अपराध के पीड़ितों की दुर्दशा हमेशा समाज के लिए हितकारी रही है। यह मीडिया द्वारा पीड़ित को दिए गए महत्व से जाहिर होता है, जो मध्यप्रदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया के दौरान पीड़ित को पीड़ित करने वाले आघात को उजागर करने का प्रयास करता है। हालांकि जब कोई आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों की भूमिका की जांच करता है, खासकर देशों में जो प्रतिकूल प्रणाली का पालन करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि समाज पीड़ित के साथ सहानुभूति चाहता है, लेकिन पीड़ित को भूमिका देने के लिए इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता उसके या उसके खिलाफ किए गए अपराध के अभियोग में.यह पहचानना होगा कि पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली के स्तंभों में से एक है और पीड़ित के सहयोग के बिना यह प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का सुझाव देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित न्यायमूर्ति मलीमथ समिति का कहना है कि पीड़ितों और गवाहों का समर्थन तब तक आगामी नहीं होगा जब तक कि उनकी स्थिति में काफी सुधार नहीं होता है और इसलिए कानून में सुधार की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. विष्णु और याज्ञवल्क्य (2013) आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ित, उप्पल प्रकाशन हाउस, नई दिल्ली, भारत, 2006।
2. मेंदरलोसन (2012) मुआवजा पर कानून, दीप और दीप प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. नार्मन विजय (2015) भारत B&D, आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित, APH प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. शेफर (2012), अपराध के शिकार और कानून, रील प्रकाशन, नईदिल्ली, 2011।
5. द टोरिमेंटर (2015) परिपेक्ष्य, लिन और बेकन प्रकाशन, बोस्टन।

6. द लोन्सोम और हार्टब्रोकन: (2013) पीड़ित अधिकार, मानव अधिकार और आपराधिक न्याय, हार्ट प्रकाशन, (25 अप्रैल, 2008), यू.स.

7. जीमँदजवद: (2016) म.प्र., भारतीय संवैधानिक कानून, वाधवा M कंपनी, नागपुर, 2000।

8. द डिप्रेस्ड: (2012) आपराधिक कानून की रूपरेखा, सार्वभौमिक कानून प्रकाशन कंपनी प्रा। लि।, उन्नीसवां संस्करण, 2002।

9. विजय (2014) आपराधिक प्रक्रिया, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।

10. द यंग: (2013) अपराध और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लि, मुआवजे पर कानूनपावर, डीप और डीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002।

11. हेटिं (2013) जविनी, अपराध के पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा।

12. याज्ञवल्क्य (2013), मानवाधिकार और कानून, पी.च.

Corresponding Author

Pushplata Patel*

Research Scholar, Swami Vivekanand University, Sagar, Madhya Pradesh